अध्याय -9

अभिसरण

अध्याय 9

अभिसरण

9.1 मनरेगा योजना का दूसरे कार्यक्रमों के साथ अभिसरण

परिचालन मार्गदर्शिका, 2008 के कंडिका 14.1 और 14.2 के अनुसार मनरेगा योजना निधियों के साथ अन्य स्रोतों के निधियों का अभिसरण टिकाऊ सम्पत्ति के निर्माण हेतु मान्य है। यद्यपि यह भी निश्चित किया जाना था कि मनरेगा योजना निधि को दूसरे क्षेत्र या योजनाओं के संसाधनों से प्रतिस्थापित नहीं किया जाय। सामाजिक क्षेत्रों के कार्यक्रमों जैसे कि साक्षरता और स्वास्थ्य मिशनों का अभिसरण इस योजना के साथ किया जा सकता है ताकि इन योजनाओं का लाभ मनरेगा योजना के कर्मियों को मिल सके। राज्य सरकार ने नवम्बर 2009[1] में अन्य योजनाओं को मनरेगा योजना के साथ अभिसरण करने का निर्देश जिला कार्यक्रम समन्वयकों को दिया।

नमूना-जॉच किए जिलों में हमने पाया कि केवल भारत निर्माण राजीव गॉधी सेवा केन्द्र (भा.नि.रा.गा.से.के.) योजना का निर्माण मनरेगा योजना के साथ अभिसरण के अंतर्गत निर्माण के लिए लिया गया। अन्य सामाजिक क्षेत्र कार्यक्रम जैसे कि साक्षरता और स्वास्थ्य मिशन का अभिसरण मनरेगा योजना के साथ नहीं किया गया।

9.1.1 भारत निर्माण राजीव गॉधी सेवा केन्द्र (भा.नि.रा.गा.से.के.) का निर्माण

भारत सरकार के ग्रामीण विकास मंत्रालय ने अनुसूची 1 कंडिका 1 (जी) के अंतर्गत ग्राम पंचायत एवं योजना कार्यालय स्तर पर आधारभूत संरचना को सुदृढ करने के लिये ग्राम पंचायत एवं प्रखण्ड स्तर पर भा.नि.रा.गा.से.के. निर्माण को शामिल कर अपने कार्य क्षेत्र में विस्तार किया। इस योजना का उदेश्य मनरेगा को दक्षतापूर्ण लागू होने योग्य बनाना, और ग्राम पंचायत एवं प्रखंड कार्यालय के समर्थन हेतु, आई.सी.टी. सुविधा के परिचालन के साथ ही विकास प्रक्रिया से सम्बंधित ऑन लाइन लेन-देन तथा सूचना आम आदमी तक पहुँचाना था। पिछड़ा क्षेत्र अनुदान निधि (बी.आर.जी.एफ.) जिलों के लिए सामग्री अवयव बी.आर.जी.एफ. निधि से तथा श्रमिक अवयव मनरेगा योजना से लिये जाने थे। अगर पि.क्षेत्र अ. निधि से प्राप्त सामग्री अवयव अपर्याप्त हो तो उसे मनरेगा योजना के अंतर्गत लिया जा सकता था, बशर्ते कि सामग्री अवयव जिला स्तर पर 40 प्रतिशत से अधिक न हो।

सेवा केन्द्र के निर्माण में निम्नलिखित कमियॉ पाई गयी है;

---

[1] पत्रांक सं. 8295 दिनांक 23.11.2009

- जिला कार्यक्रम समन्वयक द्वारा दिये गये सूचना की जाँच के दौरान यह पाया गया कि छः नमूना जाँचित जिलों में लक्षित 920[2] (मार्च 2012) में से केवल 98 भा.नि.रा.गा.से.के. भवन का निर्माण पूर्ण हुआ था जो कि लक्ष्य का केवल 11 प्रतिशत था। इस प्रकार पर्याप्त निधि होने के बावजूद, पंचायत एवं कार्यक्रम कार्यालय दोनों स्तर पर, पंचायती राज संस्था के सुचारू कार्यकलाप हेतु आधारभूत संरचना मार्च 2012 तक निर्मित नहीं की जा सकी।
- राँची जिला के 18 प्रखण्ड़ों में 18 अदद (भा.नि.रा.गा.से.के.) भवनों के निर्माण हेतु ₹ 4.45 करोड़ का प्रशासनिक अनुमोदन, श्रमिक अवयव एवं सामग्री अवयव के हिस्से को परिभाषित किये बिना जिला कार्यक्रम समन्वयक (जुलाई 2010) द्वारा प्रदान किया गया जो मनरेगा एवं बी.आर.जी.एफ. से मिलना था। हालांकि तकनीकी मंजूरी में श्रमिक एवं सामग्री अवयव का अनुपात 20:80 तय किया गया था। (₹ 89,06,400 श्रमिक के लिए और ₹ 3,56,25,600 सामग्री अवयव के लिए)।

₹ 2.68 करोड़ रूपये मनरेगा निधि से विचलन कर सामग्री अवयव पर खर्च किया गया जबकि सामग्री पर खर्च पिछड़ा क्षेत्र अनुदान निधि से किया जाना था

निरीक्षण में पाया गया कि मनरेगा योजना एवं पि.छे.अ.नि. के बीच निर्माण लागत के बंटवारे के बिना ₹ 3.35 करोड़, राँची जिला के 18 प्रखण्डों में 18 भा.नि.रा.गा.से. के निर्माण पर, पूर्णत: मनरेगा से खर्च की गई। इसके अलावा यह पाया गया कि पर्याप्त राशि (₹ 12.47 करोड़ और ₹ 11.05 करोड़ वर्ष 2009-10 और 2010-11 की है।) पि.क्षे.अ. निधि बी.आर.जी.एफ. के अधीन उपलब्ध थी। इसमें से, राशि ₹ 2.68[3] करोड़ की मनरेगा की रशि को साम्रगी अवयव में विचलित किया गया। साम्रगी अवयव पर खर्च की राशि का विचलन मनरेगा कोष से की गयी, जो अनियमित था क्योकि रॉची क्षेत्र पि.क्षे अ. निधि के अंतर्गत है और साम्रगी की राशि पि.क्षे.अ. निधि से करनी थी।

रॉची जिले के कांके प्रखंड के प्रखण्ड कार्यक्रम पदाधिकारीयों एवं अरसंडे पंचायत के पंचायत सेवक के साथ नवनिर्मित भा.नि.रा.गा.से.के भवनों (जून 2012) के संयुक्त भौतिक सत्यापन के दौरान उद्घाटित हुआ कि उप निबंधक, शहरी क्षेत्र 3, कांके, रॉची का कार्यालय उपरोक्त केन्द्र में कार्यरत था। यह योजना के उद्देश्य की असफलता थी, जिसका उद्देश्य मनरेगा योजना के प्रभावशाली कार्यान्वयन हेतु ग्रामीण लोगों को सुविधा देने हेतु स्थान उपलब्ध कराना था।

---

[2] 380 एवं 540 क्रमश: 2010-11 एवं 2011-12

[3] मनरेगा निधि से कुल खर्च ₹ 335.36 लाख×80 प्रतिशत सामग्री अवयव =₹ 268.28 लाख या ₹ 2.68 करोड़।

भा.नि.रा.गा.से.के. भवन का उपनिबंधक शहरी क्षेत्र कांके राँची के कार्यालय के रूप में हो रहे उपयोग को दर्शाता हुआ छायाचित्र

9.2 निष्कर्ष

केवल एक योजना भा.नि.रा.गा.से.के. भवन का निर्माण का अभिसरण मनरेगा के साथ हुआ। नमूना जॉच किये गये जिलों में यह पाया गया कि भा.नि.रा.गा.से.के. का निर्माण, लक्ष्य का सिर्फ 11 प्रतिशत था। अन्य सेक्टर/कार्यक्रम के लिए योजनाएँ जैसे साक्षरता एवं स्वास्थ्य मिशन का मनरेगा योजना के साथ अभिसरण नहीं किया गया, जबकि मार्गदर्शिका में ऐसा प्रावधान था।

9.3 अनुशंसा

- सामाजिक क्षेत्र कार्यक्रम जैसे साक्षरता और स्वास्थ्य मिशन का मनरेगा के साथ अभिसरण किया जाय ताकि इन योजनाओं का लाभ, लाभुकों तक पहुँचाया जा सके।